

उत्तरी क्षेत्र कार्यालय
दक्षिण मार्ग, सेक्टर - 32 ए
चंडीगढ़ - 160030 (यू टी)
फैक्स : 0172-2605027
दूरभाष : 0172-2605027
ईमेल : zone.north.soi@gov.in
सं० प्रशा.-574 37-जी-9



Northern Zone Office
Dakshin Marg, Sector 32 A
Chandigarh – 160030 (UT)
Fax – 0172-2605027
Telephone – 0172-2605027
Email – zone.north.soi@gov.in

दिनांक 14 फरवरी, 2023

नेमी आदेश सं.प्रशा. 02 /37-जी-9 दिनांक 14 फरवरी, 2023

1. पदोन्नति (PROMOTION):-

इस केन्द्र के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से "स्थापना एवं लेखा अधिकारी" के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 में नियमित आधार पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

The following officer has been promoted to the post of "Establishment and Accounts Officer" on regular basis in the Pay Matrix level-7 with effect from the date shown against his name:-

क्रम सं. Sl.No.	नाम व पदनाम Name & Designation	पदोन्नति पर पद Designation of Promotion	पदोन्नति की तिथि Date of Promotion	प्राधिकार Authority
1	श्री बारू दास, कार्यालय अधीक्षक Sh. Baru Dass, Office Suptd.	स्थापना एवं लेखा अधिकारी Establishment and Accounts Officer	10-02-2023 (अपराह्न)	महासर्वेक्षक कार्यालय के दिनांक 10-02-2023 का पत्र सं.सी.-717/718-ए (SGO's Letter No. C- 717/718-ए dated 10-02-2023.)

- उपरोक्त अधिकारी के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. द्वारा किया जाएगा ।
The pay of the above officer will be fixed by the Head of Office, Pb. Hr. and Chandigarh GDC.
- उपरोक्त अधिकारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ.आर. 22 (1) (ए) (1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा ।
The Officer concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) within one month.
- अतिरिक्त सन्निहित व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the financial year 2022-23 and debited to the appropriate Head of Account.

(अमरदीप सिंह)

कर्मल

अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र

- प्रतिलिपि:
- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
 - निदेशक, पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ जी.डी.सी. चण्डीगढ़ को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
 - वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ ।